बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>आदेश</u>

संचिका संख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 13/2024–............................... / पटना–15, दिनांक–.........

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाअंतर्गत वृहत् फिश फीड मील, बायोफ्लॉक एवं RAS के लिए निर्गत कार्यादेश, अनुदेश एवं राज्यादेश में निहित शर्तो का उल्लंघन करते हुए लाभुकों को अनुदान की राशि विमुक्त करने के आरोप के लिए श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार, मीठापुर, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या 1844, दिनांक 09.10.2024 द्वारा निलंबित किया गया और अधिसूचना संख्या 437, दिनांक 18.12.2024 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव दिनांक 09.10.2024 से 17.12.2024 तक निलंबित रहें है।

उक्त आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी और विभागीय पत्रांक 436 नि॰गो॰, दिनांक 18.12.2024 द्वारा उनसे बचाव–बयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 23.01.2025 को बचाव–बयान समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 90 नि॰गो॰, दिनांक 25.02.2026 द्वारा उन्हें गठित आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

तत्पश्चात श्री श्रीवास्तव द्वारा निलंबन अवधि को विनियमित करने हेतु अभ्यावेदन दिनांक 06.04.2026 समर्पित किया गया।

निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (3) में प्रावधान है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार की राय में निलंबन अनुचित है तो सरकारी सेवक को जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए निलंबन अवधि को पूर्ण वेतनादि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 585, दिनांक 09.01.2024 में भी यह अंकित है कि आरोप मुक्त किये जाने की स्थिति में सरकारी सेवक के निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जायेगा तथा निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन देय होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि जिस आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव निलंबित किये गये थे उस आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। उक्त आलोक में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार, मीठापुर, पटना के निलंबन अवधि (दिनांक 09.10.2024 से 17.12.2024) को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ता उनके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए विनियमित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार, मीठापुर, पटना के निलंबन अवधि (दिनांक 09.10.2024 से 17.12.2024) को सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ता उनके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए की जायेगी।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 13/2024– ..../पटना–15, दिनांक–.................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 13/2024– ..../पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 13/2024– 189 नि॰गो॰ /पटना–15, दिनांक– 06/05/26

प्रतिलिपि – सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना/श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना सम्प्रति व्याख्याता मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार, मीठापुर, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.5.26

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।